"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2008— माघ 5, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2008

क्रमांक एफ-2-3/2007/1-8.—श्री दिलीप कुमार वासनीकर (रा. प्र. से.) संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग को आदेश क्रमांक बी. 1-8/07/एक/4 दिनांक 23-11-2007 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिसमय श्रेणी वेतनमान रु. 16,400-450-20,000 में नियुक्त करने के फलस्वरूप श्री वासनीकर को अतिरिक्त सचिव घोषित करते हुए यथावत् पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप- सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2008

क्रमांक ई-7/05/2005/1 /2.—सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से., मुख्य सचिव के उप-सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 14-01-2008 से 21-01-2008 तक (08 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 एवं 13 जनवरी, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री निगार आगामी आदेश तक मुख्य सचिव के उप-सचिव के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री निगार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री निगार अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2008

क्रमांक 02 /1015/2007/1-8/स्था..—श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 24-12-2007 से 29-12-2007 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर कार्य करती रहती.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2008

क्रमांक 06 /1016/2007/1-8/ स्था.—श्रीमती अमृता बेक, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 24-12-2007 से 2-1-2008 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अमृता बेक को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अमृता बेक अवकाश पर नहीं जातीं तो उप- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2008

क्रमांक 08 /1020/2007/1-8/ स्था.—श्री मनोहर केसवानी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 14-1-2008 से 25-1-2008 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 26 एवं 27-1-2008 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने श्री मनोहर केसवानी को अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर केसवानी अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 3-62/2006/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नं. (3) में वर्णित पुलिस थानों के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस नवीन थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :-

क्र.	नवीन थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम (तह. जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र ग्राम का नाम	स्थानीय क्षेत्र पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवीन चौकी पठारीडीह कंड़रकाघाट	थाना-बेरला तहसील- बेरला, जिला-दुर्ग.	पठारीडीह	32
			कंड़रकाघाट	
			भिंभौरी	37
			पिरदा	39
			तेलगा	26
			आनंदगांव	26
			मुड़पारकला	26
			नवागांव	30
			भरदा	26
			खुड़मुड़	30
			लावतरा	31
			ढाबा	31
			अकोली	30
			सिलघट	31
			कोंगटा	30
			हसदा	33
			नेवनारा	33
			गबदा	37
			कुम्ही	31
			देवसरा	38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			खुड़मुड़ी	38
			गोडगिरी	36
			खमतराई	36
			खगारपाट	36
			उफरा	37
			हरदी	38
			लाटा	39
			भालेसर	39
			गाड़ामोर	36
			बोहराडीह	36
			कोहडिया	40
			गुधेली	40
			बोरसी	39
			बेरलाखुर्द	39
2.	चौकी चंदनु	थाना-नांदघाट, तह.- बेमेतरा जिला-दुर्ग.	चंदनू	19
			मुंगेली	19
			रवेली	19
			केशतरा	39
			मुटपुरी	39
			तुमा	39
			खमरिया	39
			मउ	40
			मुगवाय	16
			भोगराली	19
		थाना-नांदघाट, तह.- नावागढ़	भदराली	19
		थाना-नांदघाट, तह.-बेमेतरा, जिला-दुर्ग.	तिरैया	19
		थाना-नांदघाट, तह.-नावागढ़	केशला	19
			बुचीपुर	19
		थाना व तह.- नवागढ़	टिंगाली जेवरा	15
			भदोरा	17
			नेउर	17
			तारेगांव	17
			रूसे	17
			नवागांव भठेला	11
			कुंआ	16
			कटई	16
		थाना-नवागढ़, तह.- बेमेतरा	सिंघनपुर	17
			खपरी	6
			बांराडेरा	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना व तह.- बेमेतरा	नवागांव	18
			बिटकुली	39
			करजिया	20
			झिरिया	39
			आंदू	20
			बिरमपुर	20
			उछलापुर	38
			पुरान	38
			भोथीडीह	38
			सोनपुर	38
			पौसरी	38
			धनेली	36
			घटोली	36
			बगौद	37
3.	चौकी रामनगर	थाना- गुढ़ियारी, तह.- रायपुर	रामनगर के मोहल्ले	106 एवं 106 (बी)
4.	चौकी गिरौदपुरी	थाना- बिलाईगढ़, जिला- रायपुर	गिरौदपुरी	21
			मटिया	21
			मड़वा	21
			तुर्कीनडीह	16
			अमोदी	16
			कौंवाताल	20
			सुकली	20
			बरेली	20
			दर्री	20
			महकोनी	वनग्राम
			दलदली	वनग्राम
			खोसड़ा	वनग्राम
			गिडोला	वनग्राम
		थाना-कसडोल जिला-रायपुर.	दर्रा	15
			मानाकोनी	15
			महराजी	वनग्राम
			अर्जुनी	वनग्राम
			डेराडीह	16
			रामपुर	16
			फोट	15
			टिपरूंग	15
5.	चौकी दामापुर	थाना-कुंडा, तह.- पंडरिया जिला-कबीरधाम.	दामापुर	24
			प्राणखैरा	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			सैहमालगी	25
			सेमरकोना	23
			तुलसीखेरा	24
			भरेवापुरन	24
			अमलीमालगी	23
			सोमनापुर	23
			पंवरजली	25
			ढोलाकांपा	24
			देवगढ़िया	24
			जैतपुरी	25
			भटरूसे	23
			मौहवामढ़वा	23
			कोदवाकला	25
			कुंआमालगी	23
			पथर्री	23
			कोयलारीकला	25
			अतरियाखुर्द	24
			नवांगांव (खगेश)	23
			बिपतपुर	24
			मोतेसरा	23
			पटवा	25
			सुकलीगोंविद	24
			दुल्लीपार	24
			निंगापुर	23
			गोबर्रा	25
			टाटीकसा	25
			डोगरियाखुर्द	24
			बमईपुर	25
			गिरधारीकांपा	24
			बंसापुर	25
			कंवलपुर	24
			बहबलिया	25
			पंचधार	25
			कझेंटी	23
			अजब्बर कांपा (विरान)	23
			घीकुड़िया (विरान)	24
			आमादाह	25
			खुंटा	24
6.	चौकी दमकसा	थाना-भानुप्रतापपुर जिला-कांकेर.	झर्रीपारा	4
			महेन्द्रपुर	5
			सटेली	6
			राऊरवाही	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			चिहरों	5
			दमकसा	3
			आमागुहन	4
			कोड़ाखुर्री	4
			छिंदगांव	3
			घोटुलमुड़ा	3
			तरहूल	3
			ईरागांव	5
			बरहेली	4
			कानापाल	5
			गुलाल बोड़ी	5
			हिलचुर	4
			गुलफोड़	4
			सिलपट	4
7.	नवीन थाना परपोड़ी	चौकी देवकर, थाना/तह.- साजा जिला-दुर्ग.	परपोड़ी	34
			धौराभाठा	34
			कुरलू	34
			जानो	34
			मुड़िया	36
			बेदरचुआ	35
			चचानमेटा	35
			पातरझोरी	35
			सुहागपुर	35
			पथरीखुर्द	35
			पथरीकला	33
			कोंगियाकला	20
			भटगांव	32
			कमकावाड़ा	32
			बुडेरागोड़	32
			बागडुमर	32
			तिरियाभाट	31
			सोनपाण्डर	31
		थाना व तह.-साजा, जिला-दुर्ग.	नवांगांव खुर्द	33
			तुमड़ीपार	33
			मासूलगोंदी	33
			कोंगियाखुर्द	33
			गातापार	31
			गोड़मर्रा	31
			गाड़ाडीह	36
			पेन्ड्रावन क्षत्री	29
			रूसे	36
			हाथीडोब	36
			रानो	36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			सानेडोंगरी	36
			साल्हेखुर्द	01
			गभराडीह	36
8.	नवीन थाना-रूद्री	थाना, तहसील व जिला-धमतरी.	रूद्री	55/18
			मरादेव	56/19
			गंगरेल	56/19
			सोरम	56/19
			भटगांव	55/18
			बेन्द्रानवागांव	55/18
			बोरिदखुर्द	56/19
			बेलतरा	56/19
			नवागांव खुर्द	56/19
			खिड़कीटोला	56/19
			तुमडाबहार	57/20
			मड़वापथरा	56/20
			कसावाही	56/19
			विश्रामपुरी	57/20
			चापगांव	63/05
			चंवर	57/20
			डांगीमाचा	56/19
			तुमाबड़ा	57/20
			तुमाछोटा	57/20
9.	नवीन थाना-तुमला	थाना-फरसाबहार तह.- कुनकुरी, जिला-जशपुर.	अंकिरा	33
			बाबूसाजबहार	33
			माटीपहाड़ छर्रा	30
			भेजवा	31
			कोल्हेनझरिया	30
			गंझियाडीह	29
			कोनपारा	32
			तुमला	31
			जोरण्डाझरिया	31
			कोरंगामाल	33
			सागझोर	31
			भेजरीझोर	31
			सरकरा	33
			बरडीह	33
			मसगामारा	33
			झारामुण्डा	32
			फरदाबहार	32
			खरिबहार	33
			पेरवांआरा	33
			टिकलीपारा	31
			गोलीडीह	31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	नवीन थाना बिर्रा	थाना जैजेपुर, तहँ. चांपा जिला-जांजगीर-चांपा.	करनौद	17
			तालदेवरी	20
			बोरसी	20
			नक्टीडीह	1
			कपिस्दा	18
			सेम्हरिया	18
			बंनसूल	18
			बनडभरा	19
			डभरा खुर्द	19
			बरकूट	18
			सोनादाह	19
			गतवा	1
			चोरहा देवरी	17
		चौकी हसौद, तह.- चांपा	बिर्रा	22
			घिवरा	24
			करही	24
			किकिरदा	24
			बसंतपुर	22
			देवरानी	21
			देवरहा	22
			सिलादेही	21
			मौहाडीह	21

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2008

क्र. /35/बी-4/21/2007/14-2.— राज्य शासन एतद्द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा-26 (2)के खण्ड (3) के उप खण्ड (चार एवं छः) में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में निम्नलिखित सदस्यों को नाम- निर्दिष्ट करती है :-

1. **श्री सुरेश चंद्रवंशी, कवर्धा**

कृषि विकास के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला प्रख्यात उद्योगपति या विनिर्माता हेतु,

2. **श्रीमती आशा वर्मा, राजनांदगांव**

ग्रामीण उन्नति का पूर्वानुभव रखने वाली एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हेतु,

3. **श्री अवधेश चंदेल, बेमेतरा**

एक प्रगतिशील कृषक, अधिमान्यत: जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो हेतु.

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष से अनाधिक होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक 7872/262/07/19/तकनीकी.— पथकर अधिनियम (1851 का सं. 8) और जो यह छत्तीसगढ़ राज्य को लागू है, कि धारा-2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23/23/92/जी/19, भोपाल, दिनांक 17-03-93 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा धमतरी जिला में दुधावा नगरी बासीन मार्ग के कि. मी. 75/6 पर स्थित लीलांज पुल पर पथकर की वसूली, दिनांक 1 अप्रैल सन् 2008 से समाप्त करती है.

No. 7872/262/07/19/T.— In exercise of the powers conferred by section 2 read with section 4 of Tolls Act (VIII of 1851) and it's application to the State of Chhattisgarh, the State Government in supersession of department notification No. F. 23/23/92/G/19, Bhopal, Date 17-03-93 hereby terminates the levy of Tolls on leelanj Bridge Located at 75/6 Km. of dudhawa nagari baasin Road in Dhamtri District with effect from 01-04-2008.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल राय, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 25/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	धनगांव	0.174	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11111/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नारायणगढ़, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.410 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
504/1	0.020
504/2	0.020
505	0.056
506/2	0.056
546/1	0.121
524	0.182
745	0.125
555/4	0.081
525	0.016
842	0.194
546/2	0.036
544	0.016
543	0.057
541	0.012
542/1	0.028
542/2	0.028
542/3	0.020
537/1	0.016
536	0.008
629/1	0.194
867/2	0.126
629/2	0.190
534	0.032
747	0.239
746	0.126
741	0.251
820/2	0.004
821/1	0.016
819	0.154
822/1	0.097
823/4	0.036
1041/4	0.182
849/1	0.012
849/3	0.421
845	0.020
1040	0.012
1041/1	0.053
1041/3+5	0.097
1043/1	0.158
1043/6	0.089
1043/4	0.008
1043/5	0.020
1044	0.130
1045	0.032
1052/5	0.008
1049	0.340
1050/2,3,4	0.210
748	0.061
योग 49	4.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11112/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लालबहादुर नगर, प. ह. नं. 85/24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.319 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
951	0.303
952	0.016
योग 2	0.319

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11113/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगढ़
(ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.358 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
125	0.190
126	0.081
127	0.057
261	0.215
231/2	0.060
262/4	0.101
312/7	0.060
312/8	0.089
427	0.008
428	0.008
429	0.008
431	0.081
439	0.060
439/6	0.040
431/5	0.004
440/1	0.126
440/2	0.118
441	0.057
466	0.020
465	0.154
468	0.048
467	0.032
470	0.206
503/2	0.154
502	0.247
499	0.089
530/1	0.745
547	0.279
548	0.061
544	0.114
550/1+2	0.344
551/1	0.352
571/1	0.259
260/4	0.121
260/1	0.118
469/2	0.081
471	0.053
500	0.344
546/1	0.032
501	0.142
योग 40	5.358

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11114/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगढ़
(ग) नगर/ग्राम-केसली, प. ह. नं. 66/5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.45 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
497/1	0.75
507	0.37
191/3	0.20
492/1	0.86
391/5	0.15
391/2	0.63
503	0.75
491/1	2.25
396/2	0.69
399	0.37
490	1.00
404/1	1.25
378/9	0.28
499/1	3.42
497/2	0.25
464/2	0.75
396/1+3	0.35
489/1	0.30
418/1	1.00
395/1	0.70
378/4	0.45
500	2.08
496/1	0.60
योग 23	19.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुरैना जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11115/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पुरैना, प. ह. नं. 69/8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.29 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
447	0.42
486/1	0.69
486/2	0.18
योग 3	1.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पुरैना जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11116/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सुखरी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.59 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
494	0.20
495	0.32
496	0.07
योग 3	0.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रातापायली एनीकट योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11117/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-रातापायली, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
31	0.06
33	0.15
32	0.11
43/2	0.14
43/3	0.11
29	0.15
36	0.18
योग 7	0.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रातापायली एनीकट योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11281/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-जंगलपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-39.86 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
86/7	1.55
86/11	2.09
86/5	0.15
86/2	1.05
86/8	1.75
86/10	1.40
86/4	0.42
86/6	1.25
86/12	0.70
87	0.52
88	0.40
76	0.10
82	1.80
74/2	2.90
71	1.00
70	1.50
66	2.09
69	1.46
65	1.62
67	0.80
4/1	0.10
4/2	0.10
80	0.50
4/3	0.05
4/4	0.05
79	0.45
81	1.79
83	0.24
78/1	1.15
78/2	1.00
78/3	1.24
78/4	1.22
5/1	0.10
5/2	0.10
10/2	1.34
10/5	1.00
10/6	3.18
55/6	1.70
योग 38	39.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गहिराभेड़ी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11282/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-चिरचारीकला, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.351 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
750	0.222
746/1	0.016
742	0.036
741	0.008
416/1	0.141
736/1	0.137
708/2	0.049
707/1	0.045
705/1	0.032
722	0.028
715	0.049
695	0.036
694/1	0.020
693	0.049
716	0.036
538	0.536
475/4	0.138
471	0.141
472	0.016
468/2	0.174
468/3	0.113
468/4	0.073
438/1	0.008
437	0.348
436	0.065
394/1	0.109
415/2	0.065
739/4	0.008
394/2	0.053
415/3	0.008
738/6	0.024
415/4	0.069
415/6	0.045
395	0.186
406	0.266
737	0.036
405	0.012
404/1	0.008
281/4	0.032
370	0.093
376	0.081
382	0.008
740	0.243
768	0.295
785/1	0.142
784	0.040
416/2	0.008
773	0.222
777	0.020
776	0.113
778	0.053
779	0.133
670	0.040
668/1	0.262
669/2	0.141
772	0.004
414/4	0.016
योग 57	5.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोंगरा बैराज परियोजना के लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11283/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बीजेपार, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.035 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
623/3	0.085
623/4	0.088
623/5	0.076
626/1	0.012
624	0.072
582	0.096
625	0.081
664/1	0.084
581	0.036
621/1	0.136
621/2	0.072
628	0.356
669	0.188
413/1	0.421
643	0.148
642/4	0.060
641/1	0.060
410/1	0.060
641/2	0.056
639	0.064
638	0.068
156	0.072
637	0.248
555	0.036
647	0.216
663/1	0.036
663/3	0.100
663/2	0.041
662	0.136
319	0.068
664/5	0.024
665	0.092
552	0.036
502/1	0.268
503	0.041
411/1	0.088
501	0.088
504	0.016
644/3	0.060
644/2	0.076
316/2	0.164
644/1	0.104
316/1	0.228
579/3	0.081
579/2	0.136
153/2	0.132
579/1	0.144
589	0.024
476/1	0.320
117/1	0.160
410/2	0.064
409	0.081
155	0.112
117/3, 117/2	0.156
118	0.068
325/1	0.136
325/4	0.104
325/3	0.104
325/6	0.072
318	0.056
147	0.108
317/1	0.008
317/2	0.044
279/1	0.004
151	0.156
152	0.036
153/6	0.044
154/1	0.128
योग 68	7.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मोंगरा बैराज परियोजना के लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11284/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मुजालकला, प. ह. नं. 60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.874 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
441/1	0.308
422	0.088
415	0.004
419	0.096
391	0.240
202	0.176
151	0.052
155	0.056
274	0.228
418	0.064
247	0.168
414	0.072
390	0.164
381	0.176
380	0.004
379	0.040
378	0.044
277	0.267
157	0.048
201	0.048
276/2	0.064
129/3	0.029
276/1	0.081
152	0.052
221	0.008
222	0.004
275	0.184
220	0.229
111	0.036
273/1	0.056
248	0.177
241	0.012
253/1	0.160
239	0.024
147	0.060
146/1	0.064
132	0.064
105	0.096
131	0.141
104/2	0.088
106/2	0.116
82/1	0.101
82/2	0.281
82/4	0.088
85/2	0.168
59	0.024
58	0.076
26/2	0.016
26/1	0.032
योग 49	4.874

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11285/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सागर, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.539 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
451	0.188

(1)	(2)
452/11	0.084
454/1	0.072
501/2	0.120
452/3	0.104
454/2	0.088
121	0.256
420/2	0.044
420/5	0.024
420/7	0.076
420/3	0.140
420/8	0.024
420/1	0.224
316/1	0.004
316/4	0.248
317/1	0.216
188	0.148
186/3	0.016
186/1	0.112
186/2	0.008
122/4	0.109
116	0.008
26/1	0.020
117	0.156
115/2	0.020
89/1	0.024
89/2	0.181
87	0.136
88	0.202
86	0.168
38/1	0.297
84	0.032
34	0.108
36/1	0.272
23/1	0.144
23/2	0.116
420/4	0.080
26/2	0.028
446/2	0.040
480	0.202
योग 40	4.539

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोंगरा बैराज परियोजना के लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11286/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-अंछोली, प. ह. नं. 60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.163 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93/1	0.085
97/1	0.081
119/2	0.141
118	0.081
117/2	0.056
116/2	0.040
115/3	0.004
165/4	0.020
114/2	0.113
114/5	0.113
144/5	0.405
116/1	0.061
120	0.004
144/7	0.040
296/32	0.008
295/6	0.024
166/1	0.024
165/2	0.008
165/3	0.081
165/5	0.081
149	0.121
150/3	0.169
151	0.081
152/1	0.242
82/2	0.193
83	0.089
87	0.141
84	0.125
85/1	0.133

(1)	(2)
86/1	0.153
88/1	0.121
89	0.081
289/5	0.044
योग 33	3.163

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोंगरा बैराज परियोजना के लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11287/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मोहड़, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.701 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
282/1	0.041
283/1	0.101
59/1	0.057
59/3	0.057
59/5	0.041
60/1	0.242
60/2	0.162
योग	0.701

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11288/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-घोठिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
134/4	0.14
योग	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोठिया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11289/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मुंजालपाथरी, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.781 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
339	0.140

(1)	(2)
337/2	0.088
337/1	0.052
335	0.120
334	0.104
333/2	0.056
332/25	0.016
332/8	0.068
329	0.160
154/1	0.152
115	0.282
106/15	0.332
106/13	0.092
20	0.148
106/3	0.012
106/2	0.024
106/1	0.156
18	0.024
75	0.096
13	0.161
11/2	0.121
19	0.144
21/1	0.084
78/3	0.192
12	0.121
332/4	0.114
248	0.061
255/2	0.072
332/7	0.169
332/5	0.041
255/1	0.085
332/9	0.085
315	0.113
286/1	0.040
271	0.129
258/2	0.053
270/3	0.121
258/1	0.049
246	0.049
247	0.004
241/1	0.101
233/1	0.053
237	0.032
236/1	0.093
234	0.065
235	0.105
232/2	0.040
206	0.081
245	0.081
योग 49	4.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11290/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पिनकापार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
323	1.40
302/5	0.40
302/7	0.05
योग 3	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मासूलजोब जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11351/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बनियाटोला, प. ह. नं. 62/40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.270 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	51/1	0.145
	51/2	0.121
	51/4	0.004
योग	3	0.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11352/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-हालेकोसा, प. ह. नं. 62/40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.026 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	94/2	0.327
	95/1	0.219
	105/1	0.141
	103/1	0.004
	97/2	0.004
	97/1	0.121
	97/3	0.161
	98	0.049
योग	8	1.026

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11353/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-भण्डारपुर, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.611 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
285/1	0.049
285/2	0.243
287/2	0.121
288/2	0.113
288/3	0.069
291/4	0.032
291/1	0.231

	(1)	(2)
	294/1	0.145
	293	0.122
	297/12	0.085
	297/2	0.065
	297/4	0.336
योग	12	1.611

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज परियोजना के दांयीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11354/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बरछाटोला, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.012 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	19/1	0.004
	19/4	0.073
	19/2	0.142
	19/3	0.068
	20	0.218
	21	0.210
	202/1	0.197
	211/4	0.057
	211/3	0.113
	210	0.385
	215/3	0.081
	215/2	0.101
	217/1	0.569
	209	0.004
	218/1,2,3	0.208
	219/2	0.089
	220/4	0.161
	220/7	0.081
	220/5	0.035
	220/2	0.114
	220/1	0.029
	221	0.073
योग	22	3.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11355/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बापूटोला, प. ह. नं. 64/38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.642 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/1	0.576
41	0.345
42/3	0.520
43/9	0.169
101/1	0.121
102	0.023
106	0.025
105/1	0.206
105/4	0.145

(1)	(2)
105/3	0.013
120	0.466
109	0.443
118	0.004
117	0.029
116	0.008
115	0.741
114	0.526
125/2	0.033
126/2	0.573
126/1	0.676
योग 20	5.642

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11356/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बिसाहूटोला, प. ह. नं. 64/38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.970 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/1	0.133
23/2	0.214
23/3	0.137
23/4	0.307
23/5	0.129
23/6	0.089
29	0.085
32/2	0.041
31	0.157
32/1	0.133
39	0.173
201	0.153
200	0.007
193/1	0.032
193/3	0.097
193/4	0.036
193/5	0.240
187/2	0.185
187/1	0.097
187/3	0.288
281	0.112
277/1	0.081
277/2	0.085
276/1,2	0.301
275/1	0.004
262	0.249
265/1	0.037
268/1	0.073
266	0.045
267	0.133
268/2	0.117
योग 31	3.970

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खातूटोला बॅराज परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, सरगुजा, छत्तीसगढ़

अम्बिकापुर, दिनांक 3 जनवरी 2008

क्र./573/परि. अ./2007.— मैं, डॉ. रोहित यादव (आई. ए. एस.) कलेक्टर, सरगुजा (अम्बिकापुर) छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये नगर पंचायत विश्रामपुर की वार्ड क्र. 10 के निर्वाचित पार्षद द्वारा स्वेच्छा-पूर्वक दिया गया त्यागपत्र स्वीकार करता हूँ. जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित है.

अनुसूची

क्र.	निकाय का नाम	वार्ड क्र.	पार्षद का नाम जिनके द्वारा त्याग-पत्र दिया गया है	वार्ड के आरक्षण की स्थिति (वर्ग)	त्यागपत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	त्यागपत्र प्रस्तुत करने का कारण
1.	नगर पंचायत विश्रामपुर	10	श्री मुमताज अहमद	पिछड़ा वर्ग (मुक्त)	12-10-2007	जूनियर ओवरमैन पद पर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड संबलपुर (उड़ीसा) में नियुक्ति प्राप्त होने के कारण.

रोहित यादव,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2008

क्रमांक क/ख. लि./खुला घो./2007.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के उप नियम (12) के तहत् रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायानुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनि पट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
1.	धनसूली	32	तिल्दा	605, 606/1, 606/2, 606/3, 606/4	1.50 ए.	सागर स्टोन इन्डस्ट्रीज प्रो. श्रीमती किरन रूपरेला के नाम पर निजी भूमि उक्त क्षेत्र की रकबा 1.50 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 9-1-2003 से 8-1-2008 तक लीज स्वीकृत लीज अवधि दिनांक 8-1-2008 से समाप्त होने के कारण.
2.	केसदा	17	सिमगा	317	3.20 ए.	श्री राम ताम्रकर के नाम पर निजी भूमि दिनांक 20-10-2002 से 19-10-2007 तक स्वीकृत चूनापत्थर खदान की अवधि समाप्त होने की कारण खदान रिक्त है.

एम. डी. कावरे,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग, छ. ग.

दुर्ग, दिनांक 5 जनवरी 2008

क्रमांक /7/निप./ मंडी नि./फा. नं. 82/अधि./07.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) के खण्ड (ङ) के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र 21 - बेमेतरा के अंतर्गत सहकारी विपणन समिति मर्यादित, बेमेतरा से मंडी सदस्य के लिए नाम-निर्दिष्ट हुए हैं, जो निम्नानुसार है :-

अनु. क्र.	मंडी का नाम	नाम -निर्देशित सदस्य का नाम एवं पता
1.	21-बेमेतरा मंडी समिति	श्री दिलीप पटेल, ग्राम सौरी, तहसील-बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

सुब्रत साहू,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, रायपुर
पुराना नर्सेस हास्टल, मंत्रालय परिसर के पास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

क्र. /खाद्य-3/07/112.—यह कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 37) जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" के नाम से विनिर्दिष्ट है, के अंतर्गत निर्मित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम-42 (ययय) उपबंधित करता है कि चबाने वाली तम्बाकू के प्रत्येक पैकेट पर यह अंकित होगा कि "तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है" ;

और यह कि तम्बाकू युक्त पदार्थ का उपभोग जो आमतौर "गुटका" के नाम से जाना जाता है वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ;

और यह कि स्कूल जाने वाले बच्चे एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी सरलता से तम्बाकू युक्त "गुटका" के उपभोग के शिकार हो रहे हैं तथा उनका इस हानिकारक खाद्य पदार्थ का आदी होना दृश्यमान है ;

और यह कि लोक स्वास्थ्य के हित में यह आवश्यक है, कि आम जनता को तम्बाकू युक्त "गुटका" के आदी होने से रोकने के लिये तत्काल प्रभावी कदम उठाये जायें ;

और यह कि उक्त अधिनियम की धारा-7 खण्ड (चार) खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को यह अधिकार प्रदान करती है, कि वह लोक स्वास्थ्य के हित में किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय को प्रतिबंधित करें ;

और यह कि उक्त धारा-7 यह भी प्रतिबंधित करता है, कि कोई व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ का विक्रयार्थ, विनिर्माण अथवा भण्डारकरण, विक्रय अथवा वितरण नहीं करेगा जो उक्त धारा-7 के खण्ड (चार) के अधीन लोक स्वास्थ्य के हित में, खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रतिबंधित हो ;

और यह कि छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी उपरोक्तानुसार संतुष्ट है, कि तम्बाकू युक्त खाद्य पदार्थ जो आमतौर पर "गुटका" के नाम से जाना जाता है, वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, का उपभोग करना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, तथा लोक स्वास्थ्य के हित में यह आवश्यक है, कि तम्बाकू युक्त खाद्य पदार्थ जो आमतौर पर "गुटका" के नाम से जाना जाता है, वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, का विक्रय उक्त अधिनियम की धारा-7 खण्ड (चार) के अधीन प्रतिषिद्ध किया जाये ;

अतएव खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 37) की धारा-7 खण्ड (चार) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, शहला निगार, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ राज्य तथा खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य, लोक स्वास्थ्य के हित में, एतद्द्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2008 से 5 वर्षों की कालावधि के लिये तम्बाकू युक्त "गुटका" जो छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, का विक्रय प्रतिबंधित करती हूँ, तथा तद्नुसार निर्देशित करती हूँ, कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा अपने निमित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तम्बाकू युक्त "गुटका" जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, का विक्रयार्थ, विनिर्माण अथवा भण्डारकरण, विक्रय अथवा वितरण दिनांक 1 जनवरी 2008 से 5 (पांच) वर्षों की कालावधि तक के लिये नहीं करेगा.

शहला निगार
नियंत्रक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
एवं
खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छ. ग. रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

क्रमांक /08 अ/वि. यो.-6/नग्रानि/08.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कवर्धा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का (प्रारूप) छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 22-01-2008 को प्रकाशन किया गया है और उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला कबीरधाम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कवर्धा एवं सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 22-01-2008 से महात्मा गांधी जिला वाचनालय, एकता चौक, कवर्धा में आम जनता के अवलोकनार्थ प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है.

उक्त प्रारूप विकास योजना की विशिष्टियां नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हैं.

उक्त प्रारूप विकास योजना के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे कलेक्टर, कबीरधाम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कवर्धा, तथा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय राजनांदगांव के कार्यालय को अथवा प्रदर्शनी स्थल पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन (तीस दिन) की कालावधि के समाप्त होने के पूर्व प्रस्तुत किया/भेजा जा सकता है.

अनुसूची

(क) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तथा उसके बारे में वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ख) प्रारूप विकास योजना के उपबंधों को स्पष्ट करने वाले मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा प्रमाणित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ग) प्रारूप विकास योजना के क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाला तथा ऐसी रीति कथित करने वाला टिप्पणी जिसमें विकास करने हेतु अनुज्ञा अभिप्राप्य की जाना है.

(घ) लोक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन के खर्चों का तथा योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वेलित कार्य के खर्च का समुचित प्राक्कलन उपदर्शित करने वाली टिप्पणी.

Raipur, the 1st January 2008

No./08 A/T&CP/2008.— Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Kawardha Planning area has been published on 22-01-2008 in accordance with provisions of sub-section (1) of section 18 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) a copy thereof is available for inspection at Office of Collector, District Kabirdham, Office of Chief Municipal Officer, Municipal Council Kawardha, Office of Assistant Director, Town & Country Planning Rajnandgaon during office hours exculding holidays. An exhibition is also arranged for public from 22-01-2008 at Mahatama Gandhi Zila Vachnalay, Ekta Chowk, Kawardha.

The particulars of the said draft plan have been specified in the schedule below :-

If there be any objection or ssuggestion with respect to the said draft plan, it should be sent to the Office of Collector, District Kabirdham, Chief Municipal Officer, Municipal Council, Kawardha or Asstt. Director, Town & Country Planning, Rajnandgaon or may be submitted at the venue of the exhibition within 30 days of the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

(a) The Existing Land use maps and narrative report.

(b) Narrative report explaining the provision of the draft plan supported by maps and charts.

(c) Note indicating the phasing of implementation of the draft plan and stating the manner in which permission to development to be obtained.

(d) Note indicating an appropriate estimate of the cost of land acquisition for public purposes and the cost of works involved in the implementation plan.

एस. एस. बजाज,
संचालक.